

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया  
पीठासीन अधिकारी:—रमेश देव आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या:—526 / 2022

वादपत्र अन्तर्गत धारा :-88,53 आरटीए

1. गुरचरण कौर पुत्री गुरदयाल सिंह पत्नी मदनलाल जाति अराई निवासी मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. विनोद सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह जाति अराई निवासी मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

—वादीगण

### बनाम

1. अनु पुत्री गुरजंट सिंह जाति अराई निवासी मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. कालो देवी पुत्री बुधा उर्फ बुध सिंह जाति अराई निवासी मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
3. गुरचरण सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह जाति अराई निवासी मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
4. गुरमीत सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह जाति अराई निवासी मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
5. जसवंत सिंह पुत्र बुधा सिंह उर्फ बुध सिंह जाति अराई निवासी मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
6. दासी देवी पत्नी गुरजंट सिंह जाति अराई निवासी मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
7. नरेन्द्र सिंह पुत्र गुरजंट सिंह जाति अराई निवासी मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
8. निशु पुत्री गुरजंट सिंह जाति अराई निवासी मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
9. रीना पुत्री गुरजंट सिंह जाति अराई निवासी मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
10. शाखा प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक शाखा नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
11. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया

—प्रतिवादीगण

उपस्थित:—

1. श्री प्रेमचन्द भारद्वाज —वकील वादी
2. श्री विनोद शर्मा —वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 9
3. श्री रविन्द्र कुमार भोबिया —वकील प्रतिवादी सं. 10

अधिवक्ता वादीगण द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 9 के नाम चक 19 एमकेएस के खाता सं. 25/15 जमाबन्दी सम्बत् 2073—2076 में 2.967 है.भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त खाता की प्रमाणित जमाबन्दी वाद पत्र के साथ सलंगन है। उक्त चक के खाता की समस्त भूमि का विवरण निम्न प्रकार है— चक 19 एमकेएस के खाता सं. 25/15 जमाबन्दी सम्बत् 2073—2076 प.न.155/231 मु.न.4 किला नं.17/1/0.239 है.,23/0.253 है. 24/1/0.239 है.प.न.155/232 मु.न.7 किला नं.2/0.253 है.,3/0.253 है.,4/1/0.239 है.7/1/0.239 है.,8/0.253 है.,9/0.253 है.12/0.253 है.,13/0.253 है.14/1/0.240 है. कुल 2.967 है. नहरी वादीगण के नाम 1.429 है. भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 9 का कब्जा काश्त के सम्बन्ध में आपसी बंटवारा हो चुका है। तथा सीवबंट रकमराज व वाटरमेण्ट शुल्क को लेकर विवाद होने की आंशका रहती है। इसलिये वादीगण अपने कब्जाकाश्त अनुसार अपनी भूमि का खाता अलग

से कायम करवाने के अधिकारी एवं दावेदार है। मुताबिक आपसी बंटवारा के अनुसार वादीगण के निम्न प्रकार से भूमि हक व हिस्सा में आई है:—चक 19 एमकेएस के खाता सं. 25/15 जमाबन्दी सम्वत् 2073—2076 में वादीगण के ब.हि.ब कब्जाकाश्त व हिस्सा की भूमि निम्न प्रकार है:—प.न.155/231 मु.न.4 किला नं. 17/1/0.239 है.,23/0.253 है.24/1/0.239 है.,प.न.155/232 मु.न.7 किला नं.4/1/0.239 है.7/1/0.239 है.,14/1/0.063 है. 3/0.0785 है.8/0.0785 है. कुल 1.429 है. नहरी वादीगण ने आपसी बंटवारा मुताबिक अपने हिस्सा की भूमि पर काफी श्रम कर व पैसे खर्च कर भूमि सुधार किया व उसे काश्त योग्य बनाया है इस लिये वादीगण अपना खाता तकसीम करवाने के अधिकारी एवं दावेदार है। यदि वादीगण का खाता अलग नहीं किया गया तो वादीगण को कभी पूरा न होने वाला नुकसान होगा जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से धन से न हो सकेगी वादीगण ने प्रतिवादी सं. 1 ता 9 से बार बार निवेदन किया कि कब्जा काश्त की भूमि का खाता अलग से दर्ज करवा देवे। परन्तु प्रतिवादीगण पहले तो आजकल कल करते रहे गत सप्ताह ऐसा करने से कतई इन्कार हो गये। बस यही वाद कारण है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1,2,4,6,ता 9 व 11 ने जरिये अधिवक्ता जावबदावा पेश किया एवं प्रतिवादी सं. 3 व 5 ने स्वयं जरिये वकील हाजिर आकर वाद पत्र से सहमति जाहिर करते हुये राजीनामा पेश किया जो शामिल मिसल है। दस्तावेजी साक्ष्य के तौर पर वादग्रस्त आराजी से संबंधित दस्तबरदारी पेश की शामिल मिसल की गई। वाद पत्र का कोई विरोध नहीं होने से तनकीयात कायम नहीं किये गये।

बहस उभय पक्ष अभिभाषण सुनी गई। वादी अभिभाषक ने वाद पत्र अनुसार कथन किया वाद पत्र में आपसी सहमति का जवाबदावा व राजीनामा अनुसार डिक्री किया जावे।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। चक 19 एमएमके खाता सं. 25/25 जमाबन्दी सम्वत् 2073—2076 वादी एवं प्रतिवादीगण ने आपस में आराजी की घोषणा बाबत सहमति के जवाबदावा व राजीनाम पेश किया है। दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादीगण साबित है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वाद वादीगण मुताबिक सहमति के जवाबदावा व राजीनामा व दस्तबरदारी के साक्ष्य के आधार पर काबिल स्वीकार होने से स्वीकृत किया जाता है।

### क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा के आधार पर निम्नानुसार डिक्री किया जाता है।  
कि:— प्रतिवादी सं.5 जसवंत सिंह पुत्र बुधा उर्फ बुध सिंह जाति अराई के हक व हिस्सा की कृषि भूमि:— चक 19 एमकेएस के प.न.155/232 मु.न.7 किला नं. 2/0.253 है.,9/0.253 है. ,12/0.253 है.,13/0.239 है.,3/0.204 है.,8/0.204 है. कुल:—1.406 है. कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 3 गुरचरण सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह जाति अराई के हक व हिस्सा की कृषि भूमि :—चक 19 एमकेएस प.न.155/232 मु.न.7 किला नं. 13/0.014 है.,14/1/0.050 है. कुल 0.064 कृषि भूमि वादीगण गुरचरण कौर,विनोद सिंह पुत्र व पुत्री गुरदयाल सिंह के ब.हि.ब हक व हिस्सा की कृषि भूमि:—चक 19 एमकेएस प.न.155/231 मु.न.4 किला नं.17/1/0.239 है. ,23/0.253 है.,24/1/0.239 है.,4/1/0.239 है.,7/1/0.239 है.,14/1/0.063 है.,3/0.0030 है.,8/0.031 है. कुल 1.333 है. कृषि भूमि उक्तानुसार अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 3 व 5 का खाता अलग कायम किया जावे। राजीनामा निर्णय का जूज रहेगा।  
उक्त आदेश आज दिनांक 20.12.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाय गया।



(रमेश देव)  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी संगरिया



डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया  
पीठासीन अधिकारी:—रमेश देव आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या:— 526 / 2022

1. गुरचरण कौर पुत्री गुरदयाल सिंह पत्नी मदनलाल जाति अराई निवासी मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. विनोद सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह जाति अराई निवासी मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

—वादीगण

बनाम

1. अनु पुत्री गुरजंट सिंह जाति अराई निवासी मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. कालो देवी पुत्री बुधा उर्फ बुध सिंह जाति अराई निवासी मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
3. गुरचरण सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह जाति अराई निवासी मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
4. गुरमीत सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह जाति अराई निवासी मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
5. जसवंत सिंह पुत्र बुधा सिंह उर्फ बुध सिंह जाति अराई निवासी मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
6. दासी देवी पत्नी गुरजंट सिंह जाति अराई निवासी मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
7. नरेन्द्र सिंह पुत्र गुरजंट सिंह जाति अराई निवासी मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
8. निशु पुत्री गुरजंट सिंह जाति अराई निवासी मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
9. रीना पुत्री गुरजंट सिंह जाति अराई निवासी मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
10. शाखा प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक शाखा नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
11. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया

—प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ रमेश देव आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु हमारे बहाजरी श्री प्रेमचन्द भारद्वाज वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री विनोद शर्मा प्रतिवादी सं. 1 ता 9 व श्री रविन्द्र कुमार भोबिया वकील प्रतिवादी संख्या 10 श्री मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है:—(प्रतिवादी सं.5 जसवंत सिंह पुत्र बुधा उर्फ बुध सिंह जाति अराई के हक व हिस्सा की कृषि भूमि:— चक 19 एमकेएस के प.न.155/232 मु.न.7 किला नं. 2/0.253 है, 9/0.253 है, 12/0.253 है, 13/0.239 है, 3/0.204 है, 8/0.204 है. कुल:—1.406 है. कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 3 गुरचरण सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह जाति अराई के हक व हिस्सा की कृषि भूमि :—चक 19 एमकेएस प.न.155/232 मु.न.7 किला नं. 13/0.014 है, 14/1/0.050 है. कुल 0.064 कृषि भूमि वादीगण गुरचरण कौर, विनोद सिंह पुत्र व पुत्री गुरदयाल सिंह के ब.हि.ब हक व हिस्सा की कृषि भूमि:—चक 19 एमकेएस प.न.155/231 मु.न.4 किला नं.17/1/0.239 है, 23/0.253 है, 24/1/0.239 है, 4/1/0.239 है, 7/1/0.239 है, 14/1/0.063 है, 3/0.0030 है, 8/0.031 है. कुल 1.333 है. कृषि भूमि उक्तानुसार अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 3 व 5 का खाता अलग कायम किया जावे। राजीनामा निर्णय का जूज रहेगा। नोट:— उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति में रहन मुक्त होने के पश्चात्

उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

निज.....x.....नल.....x.....मुब्लिक.....x.....निल.....x.....बाबत्.....x.....निल.....x.....खर्चा  
मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक.....x.....  
अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 20.12.2022 को जारी किया गया।



(रमेश देव)  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया